

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

22 दिसम्बर, 2021 (इं०)

[सप्तम (शीतकालीन) सत्र]

बुधवार, तिथि-

01 पौष, 1943 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारंकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारंकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री संजीव सरदार स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक-17.12.2021, 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)
- (05)- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पंचायती राज विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक-17.12.2021, 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)
- (06)- श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक-17.12.2021, 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)
- (07)- श्री विरंची नारायण, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)
- (08)- डा० सरफराज अहमद स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)

कृ०पृ०उ०

- (09)- सुश्री अम्बा प्रसाद ,श्री रामदास सोरेन एवं श्री राजेश कच्छप स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)
- (10)- श्री मथुरा प्रसाद महतो ,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)
- (11)- श्री अनन्त कुमार ओझा एवं श्री मनीष जायसवाल स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग)का वक्तव्य।  
(दिनांक- 20.12.2021 एवं 21.12.2021 से स्थगित)
- (12)- श्री राज सिन्हा, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 21.12.2021 से स्थगित)
- (13)- श्री निरल पुरती एवं श्री सुखराम उरौव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उर्जा विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 21.12.2021 से स्थगित)
- (14)- श्री उमाशंकर अकेला स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार ( वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 21.12.2021 से स्थगित)
- (15)- श्री वैद्यनाथ राम,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 21.12.2021 से स्थगित)
- (16)- सर्वश्री अमर कुमार बाउरी,भानु प्रताप शाही एवं श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) का वक्तव्य।  
(दिनांक- 21.12.2021 से स्थगित)
- (17)- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) का वक्तव्य।
- (18)- श्री जयप्रकाश भाई पटेल एवं श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) का वक्तव्य।

- (19)- डॉ० इरफान अंसारी, श्री बंधु तिकी एवं श्री उमाशंकर अकेला स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) का वक्तव्य।
- (20)- श्री रामदास सोरेन एवं श्री नलिन सोरेन, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) का वक्तव्य।
- (21)- श्री अमित कुमार यादव एवं श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) का वक्तव्य।
- : समितियों का गठन :-
- (22)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।
- : सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-
- (23)- प्रभारी मंत्री (वित्त विभाग) डॉ० रामेश्वर उरौव, प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य वित्त एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के झारखण्ड राज्य के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वित्त लेखे भाग-I, II एवं विनियोग लेखे को जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ।
- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।
- (24)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (25)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021

- (26)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।
- (27)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (28)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021" पर विचार हो"।
- (29)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021" स्वीकृत हो"।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021

- (30)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।
- (31)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (32)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो"।
- (33)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो"।

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

- (34)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।
- (35)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (36)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार हो"।
- (37)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो"।

कृ०पृ०३०

--: गैर-सरकारी संकल्प :-

- (38)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।  
(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

--: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

- (39)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।  
(40)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।  
(41)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०क्र०सू०-०८/२०२१-२५४०/वि०स०, राँची, दिनांक-२१/१२/२१.....

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उमेश  
२१/१२/२०२१

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०क्र०सू०-०८/२०२१-२५४०/वि०स०, राँची, दिनांक-२१/१२/२१.....

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उमेश  
२१/१२/२०२१

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०क्र०सू०-०८/२०२१-२५४०/वि०स०, राँची, दिनांक-२१/१२/२१.....

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उमेश  
२१/१२/२०२१

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

२१/१२/२१